भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

30.07.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2885

नाभिकीय संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानक

2885. श्री ओम बिरला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सहित देश में विभिन्न नाभिकीय संयंत्रों में सुरक्षा के लिए निर्धारित मानक क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए आबंटित कुल बजट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में नाभिकीय संयंत्रों में सुरक्षा मानक विकसित देशों के मानकों से भिन्न हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त नाभिकीय संयंत्रों में आपातस्थितियों का सामना करने के लिए कार्रवाई अभ्यास या कार्यशालाएं संचालित की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए नाभिकीय सुरक्षा की आवश्यकताओं से संबंधित एक मैनुअल जारी किया है। इस मैनुअल में, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में नाभिकीय सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसका अनुकरण राजस्थान सहित देश के विभिन्न नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग के सुरक्षा संबंधी मैनुअल में विभाग की सुरक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है और इसमें सुरक्षा इकाइयों के कार्यों को विनियमित करने वाले सिद्धांतों और प्रकियाओं को निर्धारित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखने के लिए कुल लगभग 26880 लाख रूपए का बजटीय आबंटन किया गया। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि लाख रूपए में*
2011-12	7950
2012-13	9279
2013-14	9651
कुल	26880

*इसमें अपेक्षित सुरक्षा संबंधी मानदंडों को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना प्रभार शामिल है।

(ग) तथा (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद का नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए नाभिकीय सुरक्षा की आवश्यकताओं संबंधी मैनुअल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दिशानिर्देशों पर आधारित है और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुरूप है।

(ङ) जी, हाँ। प्रत्येक नाभिकीय विद्युत संयंत्र में आकस्मिक योजनाओं के सत्यापन और मान्यता के लिए विनिर्दिष्ट बारम्बारता के आधार पर नियमित अभ्यास किए जाते हैं। इन अभ्यासों के प्रेक्षणों का प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त रूप से समाधान किया जाता है।

****